न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा, आई0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील संख्या :–112/2015/भीलवाड़ा (2015/00058)

1. श्रीमती डाली बैवा दौलतराम, जाति बलाई (भांबी), निवासी ग्राम महुआकंला, तहसील व जिला भीलवाड़ा ।

अपीलांट

बनाम

1. श्रीमती जमनी पुत्री भागु पत्नि नारायण, जाति बलाई (भांबी) निवासी जवाहर नगर, भीलवाड़ा ।
2. श्रीमती चांदी पुत्री भागु पत्नि हीरालाल, जाति बलाई (भांबी), निवासी ग्राम गठीलाखेड़ा, तह0 व जिला भीलवाड़ा ।
3. श्रीमती मुन्नी पुत्री दौलतराम,
4. श्रीमती ममता पुत्री दौलतराम,
5. नेहरूलाल पुत्र दौलतराम,
6. संजय पुत्र दौलतराम,
7. कविता बेवा जगदीश,
8. मंयक पुत्र जगदीश, नाबालिग जरिये माता कविता बेवा जगदीश, समस्त जाति बलाई (भांबी), नि0 ग्राम महुआकंला, तह0 व जिला भीलवाडा ।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा ।
10. उप पंजीयक, भीलवाड़ा ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाड़ा दिनांक 11.8.2015 अंतर्गत अपील संख्या 16/2015.

उपस्थितः–

1. श्री मदनलाल गुर्जर, वकील अपीलांट ।
2. श्री शंकरलाल चौधरी, वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 2.
3. रेस्पो0 संख्या 3 लगायत 8 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक :– 24.09.2018

अपीलांट ने यह अपील विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाड़ा (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्धारा पारित निर्णय दिनांक 11.8.2015 (संक्षेप में अपीलाधीन

निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विवादित भूमि आराजी खसरा संख्या 32, 33, 34, 1597, 1598, 1600, 2801/1600 एवं 2802/1600 कुल किता 8 कुल रकबा 18 बीघा 8 बिस्वा वाके ग्राम महुआकंला की खातेदार काश्तकार मु0 सुडी बेवा भागु थी जिसका देहांत होने पर तहसीलदार, भीलवाड़ा द्वारा विरासत का नामांतकरण संख्या 1577 दिनांक 20.5.2005 को रेस्पो0 जमनी, चांदी एवं दौलतराम के नाम स्वीकृत करने का आदेश प्रदान किया । तहसीलदार, भीलवाड़ा के नामांतकरण आदेश दिनांक 20.5.2005 के विरूद्ध अपीलांट द्वारा विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाड़ा के न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाड़ा ने आदेश दिनांक 11.8.2015 द्वारा अपीलांट की अपील अपास्त करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट के उपस्थित होन रहने तथा अधी0न्याया0 की पत्रावली प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 की बहस सुनी गई । xx

3- अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि विद्वान तहसीलदार ने प्रार्थी को बिना विधिवत् नोटिस दिये एवं समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही पटवारी की गलत रिपोर्ट के आधार पर एकतरफा में नामांतकरण के आदेश पारित किये है । विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाड़ा ने भी प्रथम अपील में इस बात पर गौर नहीं किया कि विवादित भूमि का मूल खातेदार भागु था एवं भागु की पत्नि मु0 सुडी थी जिनसे एक पुत्र दौलतराम एवं दो पुत्रियां रेस्पो0 जमनी व चांदी का जन्म हुआ था और अपीलांट दौलतराम की विवाहित पत्नि है जिनके तीन पुत्र नेहरूलाल, जगदीश, संजय व दो पुत्रियां मुन्नी व ममता का जन्म हुआ है । अपीलांट के पुत्र जगदीश का देहांत हो चुका है जिसकी विवादित पत्नि कविता व पुत्र मंयक है । अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 3 लगायत 8 का विवादित भूमि, जो कि पैतृक भूमि है, में जन्म से ही अधिकार है और खातेदार भागु पत्नि मु0 सुडी का देहांत होने पर बिना किसी प्रकार की जांच किये तहसीलदार ने आदेश दिनांक 20.5.2005 के द्वारा नामांतकरण संख्या 1577 विरासत के आधार पर दौलतराम, जमनी, चांदी पि0 भागु के नाम स्वीकृत कर दिया जबकि नामांतकरण खोलते समय रेस्पो0 जमनी व चांदी विवाहित थी जिनका विवाह हिन्दु उत्तराधिकार अधि0 1956 के लागू होने से पहले ही सन् 1955 में हो चुका था और वह उक्त अधि0 के लागू होने से पहले ही विवाहित होकर अपने ससुराल में निवास करने लग गयी थी इस कारण इनका विवादित भूमि में कोई हिस्सा नहीं होते हुए भी तहसीलदार ने रेस्पो0 के नाम गलत तरीक से नामांतकरण स्वीकृत किया है जो निरस्त किये जाने योग्य था । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस को आगे बढ़ाते हुए

कथन किया कि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में रेस्पो0 जमनी, चांदी के साथ दौलतराम के सभी वारिसान का नाम संयुक्त रूप से रिकार्ड में दर्ज चल आ रहा है जबकि रेस्पो0 का विवादित भूमि में हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 के तहत कोई हिस्सा निहित नहीं है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में यह भी कथन किया कि अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांट ने अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब के संबंध में धारा 5 मियाद अधि0 का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें विलंब के समुचित पर्याप्त कारण अंकित किये थे किन्तु अधी0न्याया0 ने अपीलांट की अपील को मियाद बाहर मानकर गुणावगुण पर निर्णित करने में त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाड़ा का निर्णय दिनांक 11.8.2015 एवं तहसीलदार, भीलवाड़ा का आदेश दिनांक 20.5.2005 नामांतकरण संख्या 1577 को निरस्त किया जावे तथा अपीलांट का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करे। विद्वान वकील अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आर0बी0जे0 2010 पेज 281,डी0एन0जे0 2009 पेज 223 एवं आर0एल0डब्ल्यू0 1997 (1) पेज 226 तथा न्यायालय हाजा द्वारा अपील संख्या 8/2011 उनवान श्रीमती टमू बनाम श्रीमती डाली में निर्णय दिनांक 9.7.2018 की प्रति प्रस्तुत की है । xx

4- विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने जवाब बहस में कथन किया कि विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाड़ा का निर्णय विधिसम्मत् है । अपीलांट ने नामांतकरण संख्या 1577 दिनांक 20.5.2005 के विरूद्ध लगभग 10 वर्ष के भारी विलंब के उपरांत अपील पेश की थी तथा विलंब के भी संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किये थे । विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस में आगे कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 व 2 मृतक खातेदार मु0 सुडी बेवा भागु की जायंदा पुत्रियां है जिनका विवादित आराजियात में बराबर का हक व अधिकार है । पटवारी हल्का ने मृतक खातेदार का सजरा नामांतकरण की पर अंकित किया है जिसके अनुसार मु0 सुडी के विधिक वारिसान में पुत्र दौलतराम एवं रेस्पो0 संख्या 1 व 2 को अंकित किया गया है जिसे तहसीलदार ने जांच में सही पाये जाने पर नामांतकरण संख्या 1577 दिनांक 20.5.2005 तस्दीक किया है जो विधिसम्मत् है । अधी0न्याया0 विद्वान जिला कलक्टर ने अपीलांट की अपील विधिसम्मत् रूप से खारिज की है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

5- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों, अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । अधी0न्याया0 की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजियात के खातेदार भागु था जिसकी मृत्यु उपरांत विवादित आराजियात सुड़ी पत्नी भागु के नाम जरिये नामांतकरण दर्ज की गई। तत्पश्चात् सुड़ी बेवा भागु की मृत्यु उपरांत विरासत नामांतकरण 1577 दिनांक 20.5.2005 को खातेदार भागु के पुत्र दौलतराम एवं दो पुत्रियों जमनी एवं चांदी के नाम तस्दीक किया गया है । अधी0न्याया0 के निर्णय

में मृतक खातेदार भागु के परिवार के दर्शाये सजरे से यह स्पष्ट है कि अपीलांट भागु के मृतक पुत्र दौलतराम की पत्नि है । अपीलांट का कथन है कि रेस्पो0 संख्या 1 व 2 नामांतकरण संख्या 1577 दिनाक 20.5.2005 तस्दीक करते समय विवाहित थी, जिनका विवाह हिन्दु उत्तराधिकार अधि0 1956 के लागू होने से पहले ही वर्ष 1955 में हो चुकाथा जिससे विवादित आराजियात में रेस्पो0 संख्या 1 व 2 का किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार नहीं था । इस संबंध में विद्वान वकील अपीलांट ने न्यायालय हाजा द्वारा अपील संख्या 2011/00019 बउनवान श्रीमती टमू बनाम श्रीमती डाली में पारित निर्णय दिनांक 9.7.2018 की प्रति पेश की है । हमनें न्यायालय हाजा द्वारा उक्त प्रकरण में पारित निर्णय का अवलोकन किया जिसके पैरा संख्या 6 में यह अंकित किया गया है कि " आर0एल0डब्ल्यू0 1012 (1)राज0 पेज 690 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि––हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, धारा 6 एवं 6 (5) (यथा संशोधित)–सहदायिकी सम्पति में पुत्री का अधिकार–अभिनिर्धारित–नई धारा 9 सितम्बर, 2005 से संयुक्त हिन्दू परिवार के पुरूष एवं महिला सदस्यों के मध्य सहदायिकी सम्पति में अधिकारों की समानता हेतु उपबंध करता है–पैतृक सम्पति में पुत्री अपना हिस्सा पाने की हकदार है–धारा 6 (5) के संशोधित प्रावधान दिनांक 20. 12.2004 से पूर्व किये गये विभाजनों पर लागू नहीं होगें । " उपरोक्त प्रावधान के अवलोकन से स्पष्ट है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 1956 की धारा 6 एवं 6 (5) में दिनांक 9.9.2005 को संशोधन किया जाकर पुत्रियों को पिता की संपति में कोपार्सनर माना गया है किन्तु उक्त संशोधित प्रावधान दिनांक 20.12.2004 से पूर्व किये गये विभाजनों पर लागू नहीं होने का प्रावधान किया गया है जबकि हस्तगत प्रकरण में खातेदार सुड़ी का देहांत होने के उपरांत नामांतकरण संख्या 1577 दिनांक 20.5.2005 को तस्दीक किया गया है जो संशोधन लागू किये जाने की दिनांक 20.12.2004 के बाद का होने से हस्तगत प्रकरण पर लागू नहीं होता है । अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा द्वारा अपील संख्या 2011/00019 में पारित निर्णय के तथ्य हस्तगत प्रकरण से भिन्न होने के कारण उक्त न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत प्रकरण पर चस्पा नहीं होता है । हम विद्वान अधी0न्याया0 के इस निष्कर्ष से भी सहमत है कि नामांतकरण की कार्यवाही एक फिस्कल प्रोसेडिंग होकर केवल भू–राजस्व को निर्धारण करने की प्रक्रिया है । नामांतकरण के माध्यम से किसी के हक,अधिकार व स्वामित्व का निर्धारण नहीं किया जा सकता है । रेस्पो0संख्या 1 मृतक खातेदार सुड़ी बेवा भागु की विधिक वारिसान है । तहसीलदार ने विधिसम्मत् रूप से मृतक सुड़ी की विरासत का नामांतकरण संख्या 1577 दिनांक 20.5.2005 को तस्दीक किया है जिसमें हमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि प्रकट नही होती है । ।

6- उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट अपास्त योग्य तथा विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.8.2015 यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

–:क्रियात्मक आदेशः–

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 112/2015 (2015/00058) बउनवानी श्रीमती डाली बनाम श्रीमती जमनी व अन्य को अपास्त किया जाता है तथा विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा प्रकरण संख्या 16/2015 बउनवान श्रीमती डाली बनाम श्रीमती जमनी व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 11.8.2015 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 24.9.2018 को मेरे द्धारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर